50

विशेषवाहक / फैक्स / ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्या:12 / ए-404-2017

दिनांक:अगस्त 15 ,2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अध्ययनरत उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवारत राजपत्रित अधिकारियों (आई0पी0एस0 को छोड़कर) / अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति / एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवारत राजपत्रित अधिकारियों(आई0पी0एस0 को छोड़कर) / अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 में अध्ययनरत मेधावी बच्चों को उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति / एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति / एकमुश्त अनुदान स्वीकृत हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम **तिथि 31.10.2017** निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति / एकमुश्त अनुदान प्रदान करने हेतु निम्न पाठ्यकमों / व्यवसायों में अध्ययनरत एवं निम्नानुसार अंकित अर्हताएं एवं शर्ते पूर्ण करने वाले छात्रों / छात्राओं हेतु ही छात्रवृत्ति / एकमुश्त अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) **चिकित्सा व्यवसाय / पाठ्यकम** :-

1- A.I.I.M.S. में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित / अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

2- C.B.S.E की प्रतियोगात्मक परीक्षा से चयनित देश के किसी भी मेडिकल संस्थान में M.B.B.S. (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

3- उ0प्र0 व अन्य राज्य सरकारों के राजकीय मेडिकल कालेज में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से M.B.B.S. में चयनित अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

4- BH.U/A.M.U/SGPGI LKW/PGI चण्डीगढ़ / आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज पुणे में M.B.B.S (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

5- उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में B.D.S/ B.H.M.S/B.U.M.S/B.A.M.S/C.B.S.E में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित / अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

(2) **इन्जीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी व्यवसाय / पाठ्यकम** :-

1- I.I.T/N.I.T द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग / प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यकम में अध्ययनरत / चयनित / अध्ययनरत छात्र / छात्राऍं।

- 2 पर

(3) **<u>मैनेजमेंट व्यवसाय/पाठ्यक्रम</u>** :–

1- CAT/IIM द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट (MBA) स्नातक पाठ्यक्रम में चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

2– NIFT द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट (MBA) स्नातक पाठ्यक्रम में चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

(4) **<u>एलएलबी आनर्स (LLB Honours) पॉच वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम</u>**:–

1- क्लैट (CLAT) के माध्यम से चयनित एल0एल0बी0 आनर्स (LLB Honours) पॉच वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत/चयनित छात्र/छात्राएँ।

(5) **<u>प्रोफेशनल कोर्स का व्यवसायिक पाठ्यक्रम</u>**:–

1– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययनरत/चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान प्रदान करने हेतु उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट परीक्षा में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद/ सीबीएसई/आईसीएससी बोर्ड से न्यूनतम **<u>80 प्रतिशत अंक</u>** प्राप्त अभ्यर्थियों को चयनित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के कोर्स में छात्र/छात्रा द्वारा प्रथम सत्र में न्यूनतम **<u>60 प्रतिशत अंक</u>** अर्जित किया जाना आवश्यक है।

4. उपरोक्त सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान में किसी भी व्यवसाय में प्रबन्धन कोटा/पेड सीट पर अध्ययनरत/चयनित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में न होने, सभी प्रविष्टियां सही–सही एवं स्पष्ट न भरे जाने की दशा में अपूर्ण आवेदन पत्र को अस्वीकृत समझा जायेगा। इसी प्रकार आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र (संस्था के कुल सचिव, सचिव, प्रधानाचार्य या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी हुआ हो) संलग्न न होने तथा आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित तथा उस पर मुहर न होने की दशा में भी अपूर्ण समझा जायेगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 31.10.2017 के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत समझे जायेंगे।

6. सभी छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा से सम्बन्धित अंक पत्र की सत्यापित छायाप्रति चालू शिक्षा सत्र में सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत रहने के सम्बन्ध में उक्त संस्थाध्यक्ष द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टीफिकेट तथा पिछले वर्ष की परीक्षा से सम्बन्धित अंक पत्र अवश्य संलग्न किया जाय।

7. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उ0प्र0 पुलिस शिक्षा निधि में उपलब्ध धनराशि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान पूरे वर्ष में एक बार दिया जायेगा।

8. उक्त प्रयोजन हेतु पुलिस विभाग/पी0ए0सी0 की सभी शाखाओं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकारी अग्रसारण अधिकारी होंगे तथा समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0ए0सी0 के सेक्टर पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस की अन्य शाखाओं के मुख्यालय नोडल अधिकारी होंगे।

– 3 पर

9. सभी अग्रसारण अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने स्तर पर अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मेलन इत्यादि कर इस परिपत्र का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे अधिकाधिक संख्या में पुलिस विभाग/पी0ए0सी0 के अधिकारी/कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हो सकें तथा अपेक्षित अर्हताएं पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरान्त पूर्ण आवेदन पत्रों को समय से नोडल अधिकारियों को भेजना सुनिश्चित करें। सम्मेलन के दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके बच्चे उपरोक्तानुसार पात्रता क्षेत्र में आते हैं वह इस परिपत्र में निहित शर्तों के अनुसार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर वांछित प्रपत्र/प्रमाण–पत्र के साथ समय से भेजना सुनिश्चित करें।

10. अतएव समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0ए0सी0 के सेक्टर पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा पुलिस की अन्य शाखाओं के मुख्यालयों पर नामित नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वह अपने अधीन जनपदों/पीएसी वाहिनियों/शाखाओं/कार्यालयों से आवेदन पत्रों को संलग्न चेकलिस्ट में विवरण तैयार कराकर समय से प्राप्त कर लें व संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार आवेदन पत्र में यदि कोई कमी हो तो उसे पूर्ण कराकर उसे उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि 31.10.2017 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि समय से आवेदन पत्रों की समीक्षा/संवीक्षा कर छात्रवृत्ति स्वीकृत करायी जा सके। **सभी नोडल अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि आवेदन पत्र इस मुख्यालय को छिटपुट न भेजकर उन्हें अपने स्तर से संकलित कराकर इकट्ठा भिजवाने का कष्ट करें। अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों तथा घोषणा पत्र पर बैंक का पूर्ण विवरण न होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया जायेगा।**

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आवेदन पत्र का प्रारूप।
2. प्रमाण पत्र का प्रारूप।
3. बोनाफाइड प्रमाण पत्र का प्रारूप।
4. चेक लिस्ट।

15.8

(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

....

आवेदन पत्र

(उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम, पदनाम..
(बैज नं0 यदि कोई हो)

2. नियुक्ति स्थान..

3. छात्र का नाम..

4. आवेदक से सम्बन्ध..

5. आवेदक की जाति(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)..................................

6– शिक्षारत पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम, अवधि तथा अन्य विवरण :–

(अ) पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम..

(ब) पाठ्यक्रम/व्यवसाय की कुल अवधि..

(स) संस्था का नाम जिसमें अध्ययनरत हैं..

(द) संस्था, किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है/सम्बद्ध है...........................

(य) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का वर्ष (सत्र).....................................

(र) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का माध्यम...

(प्रतियोगात्मक परीक्षा/मेरिट/प्रबन्धन कोटा/पेड सीट आदि में से जिसके द्वारा प्रवेश हुआ हो, वह लिखा जाय)

(ल) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम...............................

(व) वर्तमान शिक्षा सत्र में पाठ्यक्रम/व्यवसाय के किस वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत है:–

(1) वर्ष............................ (2) सेमेस्टर.............................

(श) गत शिक्षा सत्र (2016–17) में उत्तीर्ण परीक्षा नाम/परिणाम.....

7. पाठ्यक्रम/व्यवसाय में अध्ययन पर व्यय की गयी/की जाने वाली धनराशि का विवरण :–

(अ) प्रवेश शुल्क..

(ब) पुस्तक व्यय..

(स) स्टेशनरी एवं उपकरणों पर व्यय...

(द) मासिक शिक्षण शुल्क...

8. मॉगी गयी छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान की धनराशि...............................

9. संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र :–

(अ) चालू शिक्षा सत्र 2017–18 में अध्ययनरत रहने का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र

(ब) गत शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र।

10– बैंक ड्राफ्ट जिस पदाधिकारी के नाम भेजा जाना है...

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि...
पुत्र.. इस संस्था...
.(संस्था का नाम) में ....
....................(पाठ्यक्रम / व्यवसाय क नाम यथा चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स जिसमें अध्ययनरत हो) वर्ष..............................के अध्ययनरत है। इनका इस संस्था में प्रवेश ....संस्था द्वारा संचालित (संस्था का नाम लिखा जाय) प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा / मेरिट अथवा प्रबन्धन कोटा के अन्तर्गत पेड / अनपेड सीट पर हुआ है। पिछले सत्र................................ में इन्होने पाठ्यकम की ....सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। यह संस्था (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि)................................ से मान्यता प्राप्त / सम्बद्ध है। यह पाठ्यकम / व्यवसाय.........वर्षीय है।

संस्था के अभिलेखों के अनुसार इनका चाल–चलन सन्तोषजनक है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(कुल सचिव / सचिव / प्रधानाचार्य या
अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मय सील मुहर)

(नोटः– जो लागू न हो उसे काट दें / अथवा न लिखें)

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्त

1– आवेदक/आवेदिका पुलिस एक्ट, पीएसी एक्ट, फायर सर्विस एक्ट(पुलिस पीएसी, फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो लागू न हो उसे काट दें) के अन्तर्गत भर्ती है अथवा व पुलिस विभाग में .... श्रेणी के पद पर कार्यरत है। आवेदक/आवेदिका मेरे अधीन कार्यरत है तथा वह................................ .... का की पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक है जो कि पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित है।

2– मै पूर्ण रूंप से संतुष्ट हो गया हूॅ कि आवेदक/आवेदिका उ0प्र0 पुलिस छात्र निधि से छात्रवृत्ति/एक मुश्त अनुदान हेतु सभी शर्तो का पालन कर रहा है तथा उसने उसका अंकन आवेदन पत्र में कर दिया गया है।

3– मैने जांच लिया है कि आवेदक/आवेदिका के आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया है तथा आवेदन पत्र ठीक–ठीक व पूर्ण रूप से भरा है।

4– छात्रवृत्ति/आवेदिका को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से.. के नामे (आहरण वितरण अधिकारी का नाम) भेजी जाय।

दिनांक:

अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर सहित)

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु उपबन्धित नियमों के पालन हेतु बाध्य हूँ तथा उसका पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी और ऐसी स्थिति में इस छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान यदि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है अथवा उसे प्राप्त होती है तौ मैं सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि को तत्काल इसकी सूचना दूँगा/दूंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु परिपत्र में दिये गये निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है जिसके अनुसार मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री समस्त वांछित अर्हताओं/शर्तो को पूर्ण करता/करती है। इस सम्बन्ध में मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत समस्त वांछित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनांक :

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)
(रैंक व बैज नं. सहित)
मोबाईल न0–
बैंक का नाम व IFSC Code
बैंक खाता संख्याः

वित्तीय वर्ष 2017–18

क0 सं0	छात्र / पिता का नाम / नियुक्ति स्थान	जाति	इण्टर की बोर्ड			उच्च शिक्षा का विवरण			चेक लिस्ट / संलग्नक						अभियुक्ति
			बोर्ड	प्राप्तांक	प्रतिशत	कोर्स का नाम	चयन परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	अग्रसारण अधिकारी / पद	आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में	प्रमाण–पत्र (प्राधिकृति अधि0)	बोनाफाईड प्रमाण– पत्र	कक्षा–12 की प्रमाणित मार्क शीट	गत सत्र की उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण–पत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16